

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-ख०नि०(स्था०)-03/2026

47. /एम०, राँची, दिनांक- 31.07.2026

दिनांक-30.07.2026 को सम्पन्न स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में खान निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकीय/आशुटक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मियों को स्थानान्तरित करते हुए निम्नलिखित तालिकानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तंभ (4) में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक प्रधान लिपिक/उच्चवर्गीय लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक/आशुटक के रिक्त पद पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव पदस्थापन कार्यालय	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सुल्तान अंसारी, प्रधान लिपिक	जिला खनन कार्यालय, चतरा	जिला खनन कार्यालय, सिमडेगा।	अभ्यावेदन के आधार पर। प्रधान लिपिक, जिला खनन कार्यालय, गुमला के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
2.	श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रधान लिपिक	जिला खनन कार्यालय, रामगढ़	जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग।	अभ्यावेदन के आधार पर। प्रभारी कार्यालय अधीक्षक, उप निदेशक, खान का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर अंचल, हजारीबाग के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
3.	श्री सुधीर कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	जिला खनन कार्यालय, पाकुड़	जिला खनन कार्यालय, दुमका। प्रतिनियुक्त-जिला खनन कार्यालय, पाकुड़।	-
4.	श्री शंकर कुमार, आशुटक	जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	उप निदेशक, खान का कार्यालय, कोल्हान अंचल, चाईबासा।	अतिरिक्त प्रभार आशुटक, जिला खनन कार्यालय, चाईबासा। आवश्यकतानुसार जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे
5.	श्री मनोज कुमार पटेल, उच्च वर्गीय लिपिक	जिला खनन कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ।	अभ्यावेदन के आधार पर।
6.	श्री व्यंकान्त रामानुज, उच्चवर्गीय लिपिक	जिला खनन कार्यालय, गिरिडीह, प्रतिनियुक्त जिला खनन कार्यालय, जामताड़ा	जिला खनन कार्यालय, चतरा।	अभ्यावेदन के आधार पर।
7.	श्री रंजीत कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक	जिला खनन कार्यालय, लातेहार	उप निदेशक, खान का कार्यालय, पलामू अंचल, मेदिनीनगर।	निम्न वर्गीय लिपिक, जिला खनन कार्यालय, पलामू के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
8.	श्री ललित कुमार झा, निम्नवर्गीय लिपिक	जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ	जिला खनन कार्यालय, जामताड़ा।	-

संकेत

2

9.	श्री प्रशान्त कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक	उप निदेशक खान का कार्यालय, कोल्हान अंचल, चाईबासा	जिला खनन कार्यालय, लातेहार।	-
10.	श्री मयंक राज, निम्नवर्गीय लिपिक	जिला खनन कार्यालय, राँची	जिला खनन कार्यालय, रामगढ़।	-

- 2- उपरोक्त सभी लिपिकों/आशुटंककों की इसके पूर्व की गई सभी प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।
- 3- सभी स्थानान्तरित कर्मी अनिवार्य रूप से दिनांक-04.08.2026 तक नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अपर निदेशक, खान/उप निदेशक, खान/जिला खनन पदाधिकारी आदेश प्राप्ति के पश्चात् अविलम्ब इन्हें विरमित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा स्थानान्तरित उपरोक्त कर्मी उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् स्वतः विरमित समझे जायेंगे।
- 4- उपरोक्त कर्मियों का माह अगस्त, 2026 से वेतनादि की निकासी उनके नव पदस्थापन कार्यालय से की जायेगी।
- 5- वैसे कर्मी जिनका अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरण किया गया है उन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
- 6- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


30/7/2026
(राहुल कुमार सिन्हा)
निदेशक, खान

ज्ञापांक-

1952 / एम०, राँची, दिनांक- 31.07.2026

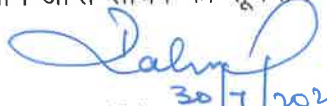
प्रतिलिपि-अपर निदेशक, खान, राँची/सभी उप निदेशक, खान, झारखण्ड/सभी जिला खनन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी/कर्मी, खान निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी स्थानान्तरित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/7/2026
निदेशक, खान

ज्ञापांक-

1952 / एम०, राँची, दिनांक- 31.07.2026

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची / खान आयुक्त, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/निदेशक, खान, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


30/7/2026
निदेशक, खान